उत्तर प्रदेश शासन,
पर्यटन अनुभाग
संख्या- **849**/2024/2702/41-1-2024-001-**सी0एन0**-1765090-2024
लखनऊ:: दिनांक 05 नवम्बर, 2024

शुद्धि-पत्र

जिला योजनान्तर्गत जनपद महोबा स्थित महोबकण्ठ मंदिर सिद्धबाबा स्थल के पर्यटन विकास कार्यके सम्बन्ध में पर्यटन अनुभाग-1,उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-805/2024/2539/41-1-2024-001-CN-1765090-2024, दिनांक 17-10-2024की प्रतिलिपि के क्रमांक-9पर क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी, चित्रकूट के स्थान पर ''क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी, झांसी''एतद्द्वारा अंकित किया जाता है।

2- तदनुसार सन्दर्भगत शासनादेश दिनांक 17-10-2024उक्त सीमा तक संशोधित समझा/पढ़ा जाय। शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. जिलाधिकारी, महोबा।
4. मुख्य कोषाधिकारी, झांसी।
5. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ ।
6. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7. निदेशक, उ0 प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (UPNEDA)
8. उप निदेशक, पर्यटन (जि0यो0), पर्यटन निदेशालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया क्रमांक-4, 5, 6, 7 व 9 को अपने स्तर से आदेश की प्रति प्रेषित करने का कष्ट करें।
9. क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी, झांसी।
10. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7।
11. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।